EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA: PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

7

Appearing on Page Nos. 1249—1254

Dated 4-8-2012

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2012

पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :-मंत्रालय, सीमा सड़क विकास मंडल, सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल (सीमा सड़क संगठन), में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद की भर्ती की सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग इंजीनियर बल (गैर तकनीकी अधिकारी) भर्ती नियम, 2003 को, जहां तक उनका संबंध सहायक प्रशासनिक अधिकारी पद से है, उन बातों के सा.का.नि. 195.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सोधारण रिजर्व

- सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल (सीमा सड़क संगठन), सहायक प्रशासनिक अधिकारी (गैर तकनीकी अधिकारी) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— —(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सीमा सड़क विकास मंडल,
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- वेतनमान वह होगा जो इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) तक में विनिर्दिष्ट हैं। 2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या
- अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) तक में विनिर्दिष्ट हैं। भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि .—भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और इससे संबंधित अन्य मामले उक्त
- निरहताएं.—वह व्यक्ति,—
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, य
- उपरोक्त पर पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

के अधीन अनुज्ञेय हैं और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है। परनु यह कि, केन्द्र सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि

- के लिए आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी। कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों शिथिल करने की शक्ति.-—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो
- केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है। 6. व्यावृत्ति.--इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका

		اليفر ا	अनुसूची		
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अच्चयन पह	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
सहायक प्रशासनिक अधिकारी	62*(2012) *कार्यभार के अभार पर परिवर्तन किया	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बेंड-2, 9300— 34800 रुपए + ग्रेड वेतन	चयन	लागू नहीं होता

लागू नहीं होता लागू	(7) (8)	सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और व्यासीधी भर्ती किए जाने वाले परिवीक्षा की अन्य अर्हताएं व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्त व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
लागू नहीं होता	(9)	परिवीक्षा की अविधि, यदि कोई हो

भर्ती की पद्धिति : क्या भर्ती सीधी होगी या प्रोन्ति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन् द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

> प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

प्रोनित द्वा

प्रोनित :

 Ξ

- (i) रिक्त पदों का 50 प्रतिशत, ऐसे सहायक, जिन्होंने वेतन बैंड-2 में 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. में इस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल केन्द्र द्वारा आयोजित कम से कम चार सप्ताह की अविध का प्रशासनिक, स्थापन, लेखा और भण्डार का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो;
- (ii) रिक्त पदों का 30 प्रतिशत, ऐसे ज्येष्ठ पर्यवेक्षक (भंडार), जिन्होंने वेतन बैंड-2 में 9300—34800 रु. + ग्रंड वेतन 4200 रु. में इस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल केन्द्र द्वारा आयोजित कम से कम चार सप्ताह की अविध का प्रशासिनक, स्थापन, लेखा और भण्डार का पाद्यक्रम उत्तीर्ण किया हो; और
- (iii) रिक्त पदों का 20 प्रतिशत, ऐसे ज्येष्ठ पर्यवेक्षक (प्रशासन), जिन्होंने वेतन बैंड-2 में 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. में इस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा सामान्य रिजर्ब इंजीनियर बल केन्द्र द्वारा आयोजित कम से कम चार सप्ताह की अविध का प्रशासनिक, स्थापन, लेखा और भण्डार का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो।

टिप्पणी 1: प्रोनित के लिए पात्रता सूची उस तारीख से तैयार की जाएगी जिस तारीख को अधिकारी ने अपनी श्रेणी या पद में विहित अर्हक सेवा पूरी कर ली हो। टिप्पणी 2: जहां ऐसे किनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोनित के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनिष्ठ व्यक्तियों सिहत जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अर्विध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पणी 3 : प्रोन्नित के प्रयोजन के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्समान ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय इसके जहां एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक या

एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक ग्रेड में विलय किया गया है और ग्रेंड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नथन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेंड हैं। जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों का विस्तारित होना जिसके लिए वह

निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-यदि विभागीय प्रोनित समिति है, तो उसकी संरचना 12 उप महानिदेशक (कार्मिक) सीमा सड़क सचिव, सीमा सड़क विकास मंडल निरेशक/उप सचिव, सीमा सड़क विकास मंडल महानिदेशालय 'ख' विभागीय प्रोनित समिति (प्रोनित के लिए) जो (12)-सदस्य नदस्य -अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है भर्ती करते समय किन परिस्थितयों आयोग स परामर्श किया जाएग (13)में संघ लोक सेवा

[फा. सं. बीआरडीबी/01/103/ए.ओ.ओ./2009/जी ई-1(पी.सी.-03)]

रामपाल सिंह, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2012

relate to the post of Assistant Administrative Officer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession of the General Reserve Engineer Force (Non-Technical Officers) Recruitment Rules, 2003, in so far as they supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Reserve Engineer Force (Border Roads Organisation), namely :-Administrative Officer in the Ministry of Road Transport and Highways, Border Roads Development Board, General G.S.R. 195. -In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in

Officer (Non-Technical Officers), Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2012 Border Roads Development Board, General Reserve Engineer Force (Border Roads Organisation), Assistant Administrative Short title and commencement. (1) These rules may be called the Ministry of Road Transport and Highways,

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

to these rules pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of post, its classification,

- qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. The method of recruitment to the said, age-limit,
- 4. Disqualification.—No person,—
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- shall be eligible for appointment to the said posts: (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

person from the operation of this rule. applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law

- may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons Power to relax.--Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it
- in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard. required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons Saving .--Nothing in these rules shall affect the reservation, relaxation of age-limit, and other concessions

SCHEDULE

Assistant Administrative Officer	(3)	Name of post
62*(2012) *Subject to variation dependent on workload.	(2)	Number of post
General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial	(3)	Classification
Pay Band-2, Rs. 9300— 34800 plus Grade Pay of Rs. 4600	(4)	Pay Band, and Grade Pay or Pay Scale
Selection	(5)	Whether selection post or non-selection post
Not applicable	(6)	Age-limit for direct recruits

Not applicable	Not applicable	Not applicable
(9)	(8)	(7)
Period of probation, if any	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Educational and other qualifications required for direct recruits

deputation/absorption and percentage direct recruitment or by promotion or by Method of recruitment: Whether by of the vacancies to be filled by various

methods

from which promotion or deputation/absorption is to be made In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades

Promotion

(10)

Promotion:

 Ξ

and Stores course of not less than four weeks duration at General Reserve Engineer Force Centre; in the grade and has passed Administration, Establishment, Accounting Rs. 9300-(i) Fifty per cent vacancies from Assistant in Pay Band-2 -34800 with Grade Pay of Rs. 4200 with five years regular service

service in the grade and has passed Administration, Establishment, (ii) thirty per cent vacancies from Senior Supervisor (Stores) in Pay Band-2, Rs. 9300—34800 with Grade Pay of Rs. 4200 with five years regular General Reserve Engineer Force Centre; and Accounting and Stores course of not less than four weeks duration at

regular service in the grade and has passed Administration, Establishment, Pay Band-2, Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4200 with five years (iii) twenty per cent vacancies from Senior Supervisor (Administration) in General Reserve Engineer Force Centre. Accounting and Stores course of not less than four weeks duration at

to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying Note 1: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference service in the respective grade or post.

eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or or two years, whichever is less and have successfully completed probation

(2)

(11)

period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists		
is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making	lic Service n making
(12)	**************************************	
Group 'B' Departmental Promotion	(13)	
promotion) consisting of :-	Consultation with Union Public Service	Service
Secretary, Border Roads Development Board — Chairman Deputy Director General (Personnel), Directorate — Member	Commission not necessary.	
Director/Deputy Secretary, Border Roads —Member Development Board		

F. No. BRDB/01/103/AAO/2009/GE-I(PC-03)]

RAMPAL SINGH, Under Secy.

